



भारतीय दंत परिषद
(दंत चिकित्सक अधिनियम, 1948 के तहत स्थापित एक सांविधिक निकाय)
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन
DENTAL COUNCIL OF INDIA
(A STATUTORY BODY CONSTITUTED UNDER THE DENTISTS ACT, 1948)
UNDER MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE, GOVERNMENT OF INDIA



No.DCI/ARPM/ARC/ARM/Gen/167/2022-23/2022/5293

Dated: 23-08-2022

To,
The Principals/Heads of all the Dental Colleges in the Country. (via Email)

Sub: डीसीआई सदस्य को एंटी रैगिंग उन्मुखीकरण कार्यक्रम में आमंत्रित नहीं करने के संबंध में।

Sub: Regarding not inviting DCI member for conducting Anti-Ragging Orientation Program

मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि डीसीआई ने ऊपर उल्लिखित विषय पर अपने परिपत्र DCI/ARPM/ARC/ARM/Gen/167/2022-23/2022/2806 दिनांक 24.06.2022 के तहत सभी दंत कॉलेजों को निर्देश दिया गया था कि कॉलेज एंटी रैगिंग सेल/समितियों के सदस्यों को समय-समय पर प्रशिक्षण के लिए बीडीएस पाठ्यक्रम की शुरुआत में कार्यशाला/सेमिनार/सम्मेलन आयोजित करें। यूजीसी के दिशानिर्देशों और एंटी रैगिंग निगरानी समिति की सिफ़ारिशों के अनुसार, दंत कॉलेजों के दस्ते और सभी छात्रों के बीच रैगिंग के बारे में जागरूकता के लिए उक्त कार्यक्रम में अपने राज्य या पड़ोसी राज्य (यदि आपके राज्य में उपलब्ध नहीं है) के भारतीय दंत परिषद के सदस्य को आमंत्रित करने का भी निर्देश दिया गया था, **हालांकि, आपके दंत कॉलेज से प्राप्त जानकारी के अनुसार, आपने उक्त कार्यक्रम में डीसीआई सदस्य को आमंत्रित नहीं किया है।**

इसीलिए, आपको फिर से निर्देश दिया जाता है कि आप डीसीआई सदस्य को आमंत्रित करते हुए अपेक्षित कार्यक्रम आयोजित करें और 7 दिनों के भीतर डीसीआई को जानकारी प्रस्तुत करें, जैसे कि यूजीसी के दिशानिर्देशों के अनुसार अनिवार्य है। ऐसा नहीं करने पर दंत कॉलेज/जों के खिलाफ आवश्यक कार्यवाई की जाएगी।

Sir,

I am directed to inform that the DCI vide its circular DCI/ARPM/ARC/ARM/Gen/167/2022-23/2022/2806 dated 24.06.2022 on the subject cited above, directed to all the dental colleges to conduct workshop/seminar/conference in the beginning of BDS Course for periodic training to the members of Anti Ragging Cells/Committees/Squads of Dental Colleges and for awareness about ragging between all students, as per UGC guidelines and Anti-Ragging Monitoring Committee recommendations. It was also directed to invite a member of the Dental Council of India of your State or neighboring State (if not available in your state) in the said program **however, as per information received from your dental college, you have not invited DCI member in the said program.**

Therefore, you are again directed to conduct the requisite program inviting a DCI member and furnish the information to the DCI within 7 days, as the same is mandatory, as per UGC guidelines. Failing to do so, necessary action will be initiated against concerned dental college/s.

Yours faithfully,

(Mukesh Kumar)
Deputy Secretary
Dental Council of India

Enclosers attachment as Noted

CC:-

The President, Dental Council of India, New Delhi